अनुदान संख्या 105 - युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 105- MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted-					
मूल	Original	2355,43,00		2377,91,00	1724,83,10	-653,07,90
पूरक	Supplementary	22,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					610,50,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	1209,57,00		1402,99,00	1119,75,45	-283,23,55
पूरक	Supplementary	193,42,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					281,75,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹65307.90 लाख) अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹2248.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गई और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹65307.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2248.00 lakhs obtained in August, 2010 and March, 2011 and constituted 27 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	186815.00	144386.22	140467.40	-3918.82
पू.	S.	2247.00			
पु.	R.	-44675.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13800.00			
पू	S.	1.00	204.44	..	-204.44
पु.	R.	-13596.56			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	33466.00			
			30645.34	30539.66	-105.68
पु.	R.	– 2820.66			

(I) ₹13931.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹13711.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹13931.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹13711.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204" - खेलकूद और खेल" - "राष्ट्रीय महिला खेलकूद चैम्पियनशिप" - ₹110.00 लाख मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2204" – "Sports and Games - National Sports Championship for women"- ₹110.00 lakhs - due to non-receipt of demand.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(B) Major Head "2552"-

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - निदेशन और प्रशासन- नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1000.00 लाख;

(a) "Sports and Youth Services – Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1000.00 lakhs;

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" -

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students" –

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹900.00 लाख;

(i) "National Service Scheme" - ₹900.00 lakhs;

(ii) ''युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - ₹275.00 लाख;

(iii) ''राष्ट्रीय युवा कोर (पहले एनवीएस)'' - ₹425.00 लाख;

(ग) ''खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल''-

(i) ''भारतीय खेल प्राधिकरण'' - ₹3401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) ''खिलाड़ियों को प्रोत्साहन'' - ₹200.00 लाख;

(iii) ''खेलकूद उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता''- ₹200.00 लाख;

(iv) ''लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान'' - ₹300.00 लाख;

(v) ''राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि'' - ₹500.00 लाख

(vi) ''पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान'' - ₹3400.00 लाख; और

(vii) ''शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)'' - ₹3000.00 लाख।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2204'' - ''खेलकूद और खेल - राष्ट्रमंडल खेल'' - ₹86398.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2245.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹88643.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹46696.60 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत विभिन्न परिसंघों से कम मांग प्राप्त होने, केंद्रीय लोक

(ii) "National Programme for Youth and Adolescent Development"- ₹275.00 lakhs;

(iii) "National Youth Corps (erstwhile NVS)"- ₹425.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services- Sports and Games"-

(i) "Sports Authority of India" - ₹ 3401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Incentive to Sports Persons"- ₹200.00 lakhs;

(iii) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- ₹200.00 lakhs;

(iv) "Laxmibai National Institute of Physical Education"-₹300.00 lakhs;

(v) "National Sports Development Funds"- ₹500.00 lakhs;

(vi) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" –₹3400.00 lakhs; and

(vii) "Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)" - ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2204" – "Sports and Games – Commonwealth Games" – the original provision of ₹86398.00 lakhs was augmented to ₹88643.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2245.00 lakhs. However, there was a saving of ₹46696.60 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less demand from various

निर्माण विभाग से पूरे कर लिए गए कार्यों और अंतिम लेखों के ब्योरे प्राप्त न होने तथा गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड को भुगतान जारी न किए जाने कारण हुई।

federations, non-receipt of details of completed works and final account from Central Public Works Department and non-release of payment to Electronic Corporation of India (ECIL) owing to non-receipt of clarification from Home Ministry.

(III) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2204"— savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹233.13 लाख की बचत (₹951.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme" - saving of ₹233.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹951.90 lakhs) was due to delay in receipt of approval of proposals for modernization of Office.

(खा) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹167.71 लाख की बचत (₹559.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय एकता कैम्प के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब होने की वजह से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Youth Welfare Programmes for Students – National Service Scheme"- saving of ₹167.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹559.10 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to delay in receipt of approval for National Integration Camp from the competent authority.

(गा) "खेलकूद और खेल" -

(C) "Sports and Games" -

(क) "विकलांगों के बीच खेलकूद को बढ़ावा"- ₹255.62 लाख की बचत (₹852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कूलों और संस्थानों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Promotion of Sports among Disabled" - saving of ₹255.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹852.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from schools and institutes.

(ख) "खेलकूद उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता" - ₹6984.05 लाख की बचत (₹16100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न खेलकूद परिसंघों से कम मांग प्राप्त होने तथा "राष्ट्रमंडल खेल - 2010" का दल तैयार करने की दिशा में दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Promotion of Sports Excellence" - saving of ₹6984.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16100.00 lakhs) was due to receipt of less demand from various sports federations and non-receipt of claims towards preparation of teams for "CWG-2010".

(ग) "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - ₹6627.68 लाख की बचत (₹21000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)"- saving of ₹6627.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the State Governments.

(घ) "शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)" - ₹1750.00 लाख की

(d) "Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)" - saving of ₹1750.00 lakhs

बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in finalization of the scheme.

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान" - ₹176.83 लाख की बचत (₹335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रतिनिधिमंडल के दौरे होने के कारण हुई।

(D) "International Cooperation - Exchange of Delegation of Youth at International level" - saving of ₹176.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹335.00 lakhs) was due to less number of delegation trip undertaken.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर (पहले एनवीएस)" - ₹952.12 लाख की बचत (₹2225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम के लिए कम संख्या में स्वयंसेवक होने तथा प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ कार्यक्रम निरस्त किए जाने के कारण हुई।

(A) "Sports and Youth Services –Youth Welfare programmes for Students - National Youth Corps (erstwhile NVS)"- saving of ₹952.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2225.00 lakhs) was due to less number of volunteers for programme and cancellation of some programme owing to administrative reason.

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - शहरी खेलकूद अवसंरचना (पहले नगरपालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान)" - ₹6050.00 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)) स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Sports and Youth Services –Sports and Games - Urban Sports Infrastructure (erstwhile NYKKA)" - saving of ₹6050.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs) was due to delay in finalization of scheme.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹185.25 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत और 85 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹185.25 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 33 percent and 85 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9681.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. (I) The above savings were partly (₹9681.41 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Heads "2204" – under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केन्द्र संगठन" - ₹1451.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹999.30 लाख था।

(A) "Direction and Administration – Nehru Yuva Kendra Sangathan" - ₹1451.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.30 lakhs.

(खा) "शारीरिक शिक्षा - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" - ₹633.00 लाख।

(B) "Physical Education – Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior"- ₹633.00 lakhs.

(गा) “छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” - ₹354.41 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹254.18 लाख था।

(घा) “खेलकूद और खेल - भारतीय खेल प्राधिकरण” - ₹7243.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2204” -

(क) “गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय युवा कोर” - ₹325.00 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) “खेलकूद और खेल” -

(i) “राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि” - ₹500.00 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) “खिलाड़ियों को प्रोत्साहन” - ₹4874.18 लाख का अधिक व्यय (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेल - 2010 में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार वितरित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, खिलाड़ियों को बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान के लिए जीवन बीमा निगम को एकबारगी एकमुश्त वार्षिकी का भुगतान करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(C) “Youth Welfare Programmes for Students-National Programme for Youth Development of Adolescent”- ₹354.41lakhs. Actual excess, however, was ₹254.18 lakhs.

(D) “Sports and Games – Sports Authority of India”- ₹7243.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2204” -

(a) “Youth Welfare Programmes for Non-Students – National Youth Corps” – excess of ₹325.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(b) “Sports and Games”-

(i) “National Sports Development Fund” – excess of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) “Incentive to Sports Persons” – excess of ₹4874.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for disbursement of cash awards to winners of medals in Commonwealth Games and Asian Games-2010, one time lumpsum payment of annuity to LIC for payment of enhanced pension to sports persons and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम" - ₹260.21 लाख का अधिक व्यय (₹6313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान" - ₹3723.52 लाख का अधिक व्यय (₹16900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹99.72 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹28323.55 लाख) अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹19342.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और ये और कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" -

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme" – excess of ₹260.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6313.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games - Panchayat Yuva Krida aur Khel Abhiyan (PYKKA)" – excess of ₹3723.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for sports related activities.

(III) Under one head excess of ₹99.72 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹28323.55 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹19342.00 lakhs obtained in August, 2010 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	3303.00	2519.19	2514.45	-4.74
पु.	R.	-783.81			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6202" शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण	Major head "6202" Loans for Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	117554.00			
पू.	S.	19342.00	109596.00	109461.00	-135.00
पु.	R.	-27300.00			

(I) ₹103.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹103.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "6202" - "खेलकूद और युवा सेवाएं - अन्य ऋण - राष्ट्रमंडल खेल" के अंतर्गत ₹117554.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19342.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹136896.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹27435.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपरिव्ययों से संबंधित सभी संविदाओं में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की चल रही जांच की वजह से कम भुगतान जारी किए जाने तथा विधि मंत्रालय की राय प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6202" – "Sports and Youth Services - Other Loans - CommonWealth Games"- the original provision of ₹117554.00 lakhs was augmented to ₹136896.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19342.00 lakhs. However, there was a saving of ₹27435.00 lakhs (including supplementary grant)- due to release of less payment owing to ongoing CBI investigation in all the contracts pertaining to overlays and non-receipt of opinion of Ministry of Law.

(III) मुख्य शीर्ष "4202" - "खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद स्टेडियम - उपस्कर और स्टेडियमों की सज्जा" के अंतर्गत ₹875.00 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों और साज-सामान की खरीद के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रस्ताव अस्वीकृत प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4202"—"Sports and Youth Services - Sports Stadia - Equipments and Furnishing of Stadia"- saving of ₹875.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-approval of proposal of Sports Authority of India for purchase of equipments and furnishing.

4. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत ₹89.45 लाख के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

4. The above savings were partly offset by an excess of ₹89.45 lakhs under one head constituting 30 percent of the sanctioned provision.